राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 11.04.2020

औषधि नियंत्रक,
औषधि नियंत्रण संगठन,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– आवश्यक दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समचार प्रकाशित हुये है कि बाजार में जीवन रक्षक दवाऐं यथा हृदयरोग, ब्लड प्रैशर, मधुमेह, किडनी, कैसर आदि बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं की कमी है। इस संबंध में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2020 के द्वारा आपको विभिन्न बीमारियों के उपचार में काम आने वाली आवश्यक दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जीवन रक्षक दवाओं के साथ ही मास्क एवं सेनेटाईजर्स की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

उक्त पत्र की निरन्तरता में यह निर्देश दिये जाते है कि राज्य में विभिन्न बीमारियों (हृदयरोग, ब्लड प्रैशर, मधुमेह, किडनी, कैसर आदि बीमारियों) में काम आने वाली दवाईयों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस हेतु सभी दवा निर्माता एवं सी एण्ड एफ व अन्य राज्यों के औषधि नियंत्रकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर जीवन रक्षक दवाईयां/मास्क/सेनेटाईजर्स की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करावें एवं कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकना भी सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(signature)

(संजय कुमार) 11.4.2020
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि जिन राज्य में दवा/मास्क/सेनेटाईजर्स के निर्माता स्थित हैं उन राज्य के औषधि नियंत्रकों को निर्देश प्रदान करावें कि वे सम्बन्धित राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशो एवं नियमों का पालन करते हुए दवा/मास्क/सेनेटाईजर्स का मांग के अनुरूप उत्पादन करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने में सहयोग प्रदान करें।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है उनके स्तर से कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में की जानी वाली कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रतिदिन औषधि नियंत्रक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राजस्थान केमिस्ट एसोशिएशन एवं समस्त जिलों के केमिस्ट एसोशिएशन को प्रेषित कर लेख है किवे अपने स्तर से सभी केमिस्ट को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सहयोग प्रदान करें।
5. निजी /रक्षित पत्रावली

(signature)

शासन उप सचिव 11.4.2020

Scanned with CamScanner